रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 1992/पौष 26, 1913

No. 27] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 1992/PAUSA 26, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1992

सा. का. नि. 47(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (महानिदेशक, आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आकाशवाणी (महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) नियम, 1963 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महानिदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन	2* (1991)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननु-सचिवीय	7600-रु० (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (2) जनसंचार शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और ललितकला से सम्बन्धित किसी संगठन में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में 18 वर्ष का अनुभव। (3) ऊपर (2) में उल्लिखित प्रकार के संगठन में, संगठन के प्रधान के रूप में तीन वर्ष का अतिरिक्त प्रशासनिक अनुभव। (4) भारत की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्ति का ज्ञान। (5) जनसम्पर्क साधनों में विकास के सामयिक पक्ष का ज्ञान।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

टिप्पण 1 — अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार में अपर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं या उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। (ख) अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के ऐसे सदस्यों के संबंध में भी, जिन्होंने ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, अर्थात् 5900-6700 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और यदि ऐसे अधिकारी का उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 5 (पांच) वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1 सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा"।

[फाईल संख्या : 12019/2/91-बी(ए)]
आई ए खान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January 1992

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) Rules, 1963* namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) Rules, 1963, the following Schedule shall be substituted, namely :—

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post Or non-Selection Post	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Director General, All India Radio/ Doordarshan	2* (1991) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs.7600/- (Fixed)	Not Applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
7	8
Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : (i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii) 18 years' experience a supervisory capacity in an organisation dealing with Mass Communications, Education, Literature, Culture and Fine Arts. (iii) Additional 3 years of Administrative experience as the Head of the Organisation of the type mentioned in (ii) above. (iv) Knowledge of India's cultural heritage and forms of artistic expressions. (v) Knowledge of current trends of development in Mass Media. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

	8
	Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and perc ntage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
No	One year for direct recruits.	By promotion/transfer on deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.
12	13
PROMOTION/TRANSFER ON DEPUTATION : (a) Officers of All India Services or Central Services Group 'A' working in or eligible for appointment as Additional Secretary to the Government of India. (b) Members of the Indian Broadcasting (Programme) Service with 5 years regular service in the Senior Administrative Grade i.e. Rs. 5900-6700, will also be considered alongwith others and in case such an officer is selected for appointment to the post of the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 (five) Years.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
14
Consultation with the Union Public Service Commission necessary".

[No. 12019/2/91-B(A.)]

I.A. KHAN, Jt. Secy.

NOTE —The Principal rules were notified vide G.S.R.No.1155 dated 6-7-1982 and subsequently amended vide (i) G.S.R. No. 874 dated the 16-10-1982; (ii) G.S.R. No.103 (E) dated the 27-2-1985 and (iii) G.S.R. No. 518(E) dated the 12-5-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992